रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072025-265148
CG-DL-E-31072025-265148

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2025/श्रावण 9, 1947
No. 203]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2025/SHRAVANA 9, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

सं. 17 /2025–26

विषयः–रसायन एवं संबंधित उपकरण के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार–पत्र (जीएईसी) नीतिगत ढ़ांचे के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने हेतु प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के पैरा 10.16 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/91/180/01/एएम22–ई–29377.—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के पैरा 10.16 में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा	**संशोधित पैरा**
10.16 स्कोमेट मदों के रसायन और संबंधित उपकरण के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार–पत्र (जीएईसी) क. रसायन और संबंधित उपकरण के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार–पत्र (जीएईसी) प्रदान करने के लिए प्रक्रिया I. 1ग, 1घ, 1ङ, 3घ001 और 3घ004 (सॉफ्टवेअर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर) की श्रेणियों/उप–श्रेणियों के तहत स्कोमेट मदों के निर्यात/पुनः निर्यात के संबंध में, आवेदक निर्यातक ऑनलाइन स्कोमेट पोर्टल के माध्यम से जीएईसी हेतु	**10.16 स्कोमेट मदों के रसायन और संबंधित उपकरण के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार–पत्र (जीएईसी)** क. रसायन और संबंधित उपकरण के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार–पत्र (जीएईसी) प्रदान करने के लिए प्रक्रिया I. (क) 1ग, 1घ, 1ङ, 3घ001 और 3घ004 (सॉफ्टवेअर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर) के साथ–साथ उनमें उल्लिखित विनिर्दिष्ट देषों को **परिशिष्ट 10(ढ) में सूचीबद्ध रसायनों** की श्रेणियों/उप–श्रेणियों के तहत स्कोमेट मदों के निर्यात अथवा

आवेदन प्रस्तुत करेगा और प्रपत्र–एएनएफ 10क में सूचना संलग्न करेगा;	पुनः निर्यात हेतु आवेदक निर्यातक जीएईसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा और आयात निर्यात प्रपत्र 10क में अपेक्षित विवरण अपलोड करेगा।

2. एक नए खंड को 10.16(क)(1)(क) के नीचे उप–पैरा **10.16(क)(I)(ख)** के रूप में निम्नानुसार शामिल किया जाता है:

i. परिशिष्ट 10(ढ) में सूचीबद्ध नहीं किए गए देशों को इन मदों के निर्यात/पुनः निर्यात हेतु, आवेदक अन्य गंतव्य देशों की सूची प्रदान करेगा, जहां उपयुक्त विचार हेतु जीएईसी के तहत ऐसे निर्यात/पुनः निर्यात अभिप्रेत हैं।

ii. भारतीय निर्यातक प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) प्रमाणन अथवा स्तर धारक प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध है की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रक्रिया पुस्तक 2023 के **पैरा 10.16(क) को अतिरिक्त देशों को शामिल** करने हेतु परिशिष्ट 10(ढ) में सूचीबद्ध रसायन के लिए रसायन एवं संबंधित उपकरण (जीएईसी) के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार–पत्र के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने हेतु संशोधित किया गया है।

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th July, 2025

No. 17/2025-26

Subject:- Amendment to Para 10.16 of the Handbook of Procedures (HBP) 2023 to expand the scope of the General Authorisation for Export of Chemicals & Related Equipment (GAEC) Policy Framework -regarding.

F. No. 01/91/180/01/AM22 - E-29377.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 and Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby amends Para 10.16 of the Handbook of Procedures(HBP) 2023, as mentioned below with immediate effect

Existing Paragraph	**Revised Paragraph**
10.16 General Authorisation for Export of Chemicals and related Equipment (GAEC) of SCOMET items A. Procedure for grant of General Authorisation for Export of Chemicals and related equipment (GAEC) I. In respect of export/re-export of SCOMET items under the Categories /Sub Categories of 1C, 1D,1E, 3D001 and 3D004 (excluding software and technology), the applicant exporter shall submit an application for GAEC through online SCOMET portal and attach information in proforma–ANF 10A;	**10.16 General Authorisation for Export of Chemicals and related Equipment (GAEC) of SCOMET items** A. Procedure for grant of General Authorisation for Export of Chemicals and related equipment (GAEC) I(a) For export or re-export of SCOMET items falling under Categories/Sub-Categories 1C, 1D, 1E, 3D001, and 3D004 (excluding software and technology), **as well as chemicals listed in Appendix 10(N)** to the specified countries mentioned therein, the applicant exporter shall apply for GAEC online and upload the required details in proforma ANF-10A.

2. A new clause is inserted below 10.16(A)(I)(a) as sub-paragraph **10.16(A)(I)(b),** as under:

i. For exports/re-exports of these items to countries not listed in Appendix 10(N), the applicant shall provide the list of other destination countries where such exports/re-exports are intended under GAEC, for suitable consideration.

ii. The Indian Exporter may submit a copy of the Authorised Economic Operator(AEO) Certification or Status Holder Certificate, if available.

Effect of this Notification: Para 10.16(A) of the Handbook of Procedures 2023 has been amended to expand the scope of the General Authorisation for Export of Chemicals & Related Equipment (GAEC) for chemicals listed in Appendix 10(N) **to cover additional countries**.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.07.31 22:15:05 +05'30'